भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4392
19 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

†**4392. श्री दिलेश्वर कामैतः**
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्री बलभद्र माझीः
श्री जगदम्बिका पालः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री शंकर लालवानीः
श्री भोजराज नागः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री राजकुमार चाहरः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री नव चरण माझीः
श्री जुगल किशोरः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री शशांक मणिः
श्री हरीभाई पटेलः
श्री रोडमल नागरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15वें वित्त आयोग के मार्च 2026 तक के चक्र के दौरान, पुनर्गठित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, कुल कितनी परियोजनाएं संचालित की गई हैं और जुटाए गए संचयी निवेश और फसल कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान में कमी लाने और मूल्यवर्धन पर उनका अनुमानित प्रभाव आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और ओडिशा में नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा है;
(ख) विगत दो वर्षों के दौरान "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना" घटक के अंतर्गत सृजित प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन में) का राज्य-वार विशेषकर राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के जलगांव जिले, आन्ध्र प्रदेश के पलनाडु जिले और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;
(ग) लीगेसी मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के प्रतिबद्ध दायित्वों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक ये पूरी तरह से कार्यशील हो जाएं,
(घ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों सहित कितने रोजगार सुजित हुए हैं और इन परियोजनाओं से जुड़े किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या कितनी है;
(ङ) आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिबद्ध दायित्वों वाली लीगेसी मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की स्थिति क्या है और वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक उनके पुनरुद्धार और संचालन के लिए क्या वित्तीय अथवा नीतिगत उपाय किए गए हैं,
(च) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसी परियोजनाओं की शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है।
(छ) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से दिनांक 31/01/2026) के दौरान, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और ओडिशा सहित देश भर में पुनर्गठित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 562 परियोजनाओं को प्रचालित किया गया है।
इन परियोजनाओं ने पर्याप्त निजी निवेश जुटाया है और आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और फसलोत्तर अवसंरचना जैसे शीत श्रृंखला, प्रसंस्करण इकाइयां और मूल्य वर्धन सुविधाएं सृजित की हैं। इस योजना के अंतर्गत सृजित अवसंरचना से फसलोत्तर हानि में कमी आती है, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन बढ़ता है और किसानों को बेहतर आय मिलती है।
प्रचालित परियोजनाओं के साथ-साथ संचयी निवेश जुटाने के संबंध में आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यवार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। दिनांक 31.01.2026 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख): पीएमकेएसवाई के एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना घटक के अंतर्गत, पिछले दो वर्षों के दौरान, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इस घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से कुल 12.62 लाख एमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता (11.17 एलएमटी प्रति वर्ष) और परिरक्षण क्षमता (1.37 एलएमटी प्रति वर्ष) सृजित की गई है।
पीएमकेएसवाई के एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना घटक के अंतर्गत पाली निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान), नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र (ओडिशा), जलगांव जिला (महाराष्ट्र) और पालनाडु जिले (आंध्र प्रदेश) में किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है। राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित सृजित क्षमता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) परियोजना प्रवर्तकों और राज्य सरकारों के साथ नियमित निगरानी और समीक्षा बैठकें; भूमि, उपयोगिताओं, वैधानिक अनुमोदन और वित्तीय समापन से संबंधित कार्यान्वयन मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करना;
(ii) परियोजना माइलस्टोन की उपलब्धि पर योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकार्य अनुदान को तेजी से जारी करना;
(iii) परियोजनाओं को पूरा करने और प्रचालित करने में सक्षम बनाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर समय सीमा का विस्तार।

(घ): पीएमकेएसवाई योजना के मेगा फूड पार्क (एमएफपी) घटक के अंतर्गत , दिनांक 31.01.2026 तक, 41 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं / प्रचालनरत हैं, जिनकी परियोजना लागत 2929.84 करोड़ रुपये है, जिससे 71348 रोजगार के अवसर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) उत्पन्न हुए हैं और 65277 किसानों को लाभ हुआ है। मेगा फूड पार्क योजना में किसान उत्पादक संगठन के अंतर्गत किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ङ) से (च): आंध्र प्रदेश और ओडिशा (नबरंगपुर क्षेत्र सहित) में स्थित मेगा फूड पार्क (एमएफपी) के निष्पादन, स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी एक एसपीवी / आईए के पास है। तथापि, मंत्रालय ने उनके शीघ्र प्रचालन और पूरा होने में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

i. मंत्रालय नियमित रूप से संबंधित पार्कों की प्रगति के संबंध में एसपीवी / आईए से मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) मांग रहा है।
ii. मंत्रालय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) के माध्यम से भी परियोजना की प्रगति की निगरानी करता है। पीएमए नियमित रूप से एसपीवी / आईए के साथ बातचीत करते हैं, स्थान का निरीक्षण भी करते हैं और एसपीवी / आईए द्वारा सामना किए जा रहे कार्यान्वयन के मुद्दों पर सलाह देते हैं।
iii. मंत्रालय भी माननीय मंत्री, एफपीआई, सचिव, एफपीआई और संयुक्त सचिव के स्तर पर परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति और प्रगति का आकलन करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

iv. मंत्रालय राज्य सरकारों के विभिन्न संबंधित विभागों / एजेंसियों के साथ सभी स्तरों पर बातचीत सहित परियोजनाओं को हर संभव सहायता और हैंड होल्डिंग प्रदान कर रहा है और समन्वय करने और मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है।

v. योजना शुरू होने के बाद, दिशानिर्देशों को सरल बनाने और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए योजना दिशानिर्देशों में कई संशोधन किए गए।

vi. अनुमोदित एमएफपी को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से भरने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत बुलाई गई है और बाद में, मेगा फूड पार्कों (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण कलस्टर (एपीसी) में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कुछ प्रतिशत निधि विशेष रूप से निर्धारित की गई है।

मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य में 3 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं ने 24275 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(छ): मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क प्रा. लि. नामक एक परियोजना को मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत दिनांक 04.06.2014 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में कुल 96.48 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 39.57 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ अनुमोदन दिया गया था। परियोजना प्रचालनरत है। चूंकि उपरोक्त योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है और इसमें केवल 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रावधान है, इसलिए एमएफपी के लिए कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ज): पीएमकेएसवाई एक मांग आधारित योजना है और पूरे देश से अभिरूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार निधि आवंटित / स्वीकृत / जारी नहीं की गई है। प्राप्त प्रस्तावों की उनकी पात्रता के लिए जांच की जाती है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधियों की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता आधारित अनुमोदन दिया जाता है।

सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

अनुबंध-I

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर देने के "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 31 जनवरी, 2026 तक पुनर्गठित पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या						
क्र.सं.	**राज्य**	**पूर्ण परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**अनुमोदित जीआईए (करोड़ रुपये में)**	**जारी जीआईए (करोड़ रुपये में)**	**निजी निवेश (करोड़ रु. में)**
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	27	1041.49	209.96	197.23	831.54
3	अरुणाचल प्रदेश	1	3.37	1.62	1.17	1.80
4	असम	42	528.86	160.54	152.79	368.32
5	बिहार	3	64.08	14.59	14.22	49.49
6	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	1	16.04	4.75	3.74	11.29
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	26.34	3.64	3.47	22.70
9	दिल्ली	2	1.32	1.32	0.80	0.00
10	गोवा	2	31.33	7.71	7.56	23.62
11	गुजरात	49	999.60	247.45	225.56	752.16
12	हरियाणा	36	455.12	112.57	105.56	342.55
13	हिमाचल प्रदेश	19	200.70	80.07	76.47	120.63
14	जम्मू और कश्मीर	17	114.04	49.95	47.42	64.08
15	झारखंड	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	कर्नाटक	33	311.99	84.63	78.00	227.36
17	केरल	25	339.02	101.71	85.17	237.31
18	लद्दाख	0	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	18	283.88	99.41	86.83	184.46
21	महाराष्ट्र	78	1227.40	330.95	314.03	896.45
22	मणिपुर	2	5.07	1.95	1.93	3.93
23	मेघालय	1	9.92	4.70	4.61	5.22
24	मिजोरम	1	9.35	3.54	3.19	5.81
25	नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा*	9	194.87	46.92	44.53	147.95
27	पुदुचेरी	1	0.41	0.41	0.41	0.00
28	पंजाब	22	460.26	82.03	78.14	378.23
29	राजस्थान	13	167.67	44.16	41.49	123.51
30	सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	51	507.83	165.64	156.74	342.20
32	तेलंगाना	19	357.66	87.91	84.93	269.75
33	त्रिपुरा	5	37.92	14.67	14.38	23.25
34	उत्तर प्रदेश	40	584.02	161.58	146.12	422.44
35	उत्तराखंड	24	322.21	131.29	127.26	190.92
36	पश्चिम बंगाल	20	349.86	79.16	77.52	270.70
कुल		**562**	**8652.35**	**2334.74**	**2181.08**	**6317.61**
*** पीएमकेएसवाई के अंतर्गत ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है**						

अनुबंध-II

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर देने के "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पाली निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान), नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र (ओडिशा), जलगांव जिला (महाराष्ट्र), उत्तर प्रदेश और पलनाडु जिला (आंध्र प्रदेश) में स्थित परियोजनाओं सहित क्षमता सृजित करने के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित जीआईए (करोड़ रुपये में)	जारी जीआईए (करोड़ रुपये में)	प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता (लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश *	4	118.86	30.8	30.56	0.3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0
11	गुजरात	3	86.54	20.72	20.72	1.2
12	हरियाणा	3	149.7	28.21	27.71	3.66
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	0	0	0	0	0
17	केरल	0	0	0	0	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	2	65.49	14.81	14.8	1.03
22	मणिपुर	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	ओडिशा*	1	33.79	9.9	9.36	0.3
27	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	1	46.51	7.08	7.08	1.27
29	राजस्थान*	1	9.89	3.01	3.01	0.7
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	2	38.59	13.74	13.74	0.71
32	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	3	101.1	19.75	19.04	3.19
35	उत्तराखंड	1	14.92	9.67	9.17	0.2685
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल		**21**	**665.39**	**157.69**	**155.19**	**12.6285**

नोट (*): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पाली निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान), नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र (ओडिशा), जलगांव जिला (महाराष्ट्र) और पलनाडु जिले (आंध्र प्रदेश) में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

अनुबंध-III

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर देने के "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4392 के भाग (ङ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आंध्र प्रदेश में प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की स्थिति							
क्र. सं.	**एसपीवी / आईए नाम**	**जिला**	**अंतिम अनुमोदन की तिथि**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**
1	श्रीनी फूड पार्क प्रा. लि	चित्तूर	30-मार्च-09	121.1	49.92	49.92	प्रचालनरत
2	गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्रा. लि	पश्चिम गोदावरी	16-दिसंबर-13	122.6	50	44.53	प्रचालनरत
3	आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (एपीआईआईसी)	कृष्णा	31-दिसंबर-15	112.94	50	37.65	कार्यान्वयन के अंतर्गत